

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5232/2019

Sanjay S/o Aaram Singh, Aged About 18 Years, R/o Beelai, Tehsil Nagoti, District Karauli.

----Appellant

Versus

1. Sugar Singh S/o Prabhu, Aged about 37 years, Resident of Khubutpura, Thana Kudgaon, Tehsil Karauli, District Karauli. (Driver of Vehicle Tractor No.RJ-25-RB-0087)
2. Batti Singh S/o Malkhan Singh, Aged About 33 Years, Resident of Rendiyal Gurjar, Tehsil Gangapur, District Sawai Madhopur, Raj. (Registered Owner of Vehicle Tractor No. RJ-25-RB-0087)
3. HDFC ERGO General Insurance Company Limited, Office Upasana Tower, C-Scheme, Jaipur (Insurance Company of Vehicle Tractor No. RJ-25-RB-0087)

----Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Mukesh Kumar Goyal, Adv
For Respondent(s)	: Ms. Anjali Assat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

08/12/2025

1. अपीलार्थी संजय की ओर से यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हिण्डौनसिटी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1, हिण्डौनसिटी), (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-47/2016, संजय सिंह बनाम सुगर सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी ने विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 72,57,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने

हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थी को कुल 9,52,900/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 07 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की स्थाई निर्योग्यता 21 प्रतिशत मानी जाकर त्रुटि कारित की है। जबकि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र से अपीलार्थी की स्थाई निर्योग्यता 42 प्रतिशत आना जाहिर है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य की प्रत्याशा की मद में, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में भी समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये:—

01. 2025 LiveLaw (SC) 871, Hitesh Nagjibhai Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari & Anr.,

02. 2025 SCC Online SC 276, Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 42 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के

संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases**

450, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :—

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.12.2015 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 15 वर्ष की आयु का विद्यार्थी होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी आय, काल्पनिक आय के आधार पर 30,000/— रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है। अपीलार्थी की आय के संबंध में विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम

याचिका में अपीलार्थी का विद्यार्थी होना व गृह कार्य की सहायता से 2,000/— प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की जो काल्पनिक आय निर्धारित की गई है, उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत/मृतक की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां आहत/मृतक को अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त

Hitesh Nagjibhai Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari & Anr., Civil Appeal No. 10278/2025 (Arising Out of SLP (C)

No. 14444/2025) में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"9. On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in *Kajal v. Jagdish Chand and Ors.*, and *Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.*"

8. ऐसी स्थिति में हम, **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में आहत/बालक को कुशल श्रमिक होना मानते हुए दुर्घटना की तिथि 09.12.2015 को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना कुशल श्रमिक की दैनिक आय 217/— रुपये, तदनुसार मासिक आय 6,510/— रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की उक्त निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,510/— रुपये में 40 प्रतिशत अर्थात् 2,604/— रुपये की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 9,114/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में कारित गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी की दांयी आंख की रोशनी चले जाना तथा लोअर लिम्ब में अस्थिभंग होना जाहिर है। जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 42 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-13 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित 42 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **राज कुमार बनाम अजय कुमार व अन्य: (2011) 1 एससीसी 343** के आधार पर सम्पूर्ण शरीर के अनुपात में 21 प्रतिशत आंका गया है।

10. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त 2025 SCC Online SC 276, Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu

Saini & Anr. में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है:—

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

11. स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र माने जाने योग्य नहीं है।

12. इस संबंध में इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Ms. Aarti vs. Kailash Singh & Ors.** reported in **2015 (2) R.A.R. 675 (Raj.)** में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :—

"12. Prima Facie this Court is of the view that the Learned Tribunal has erred by not admitting Exhibit 12, the physical impairment certificate of the claimant as valid evidence on the ground that the same was not proved by the concerned doctor. As per Section 77 of the Evidence Act, a document or certificate issued by a public servant in the discharge of his official duty is admissible without any formal proof, otherwise also, while deciding a claim petition under the Motor Vehicles Act, the strict rules of evidence do not apply."

13. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सालय

करौली के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि चिकित्सक के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने मात्र से अमान्य नहीं माना जा सकता तथा चिकित्सक के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने से उक्त स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उठाई गयी यह आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

14. अतः **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त) व आरती (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत मामले में हम अपीलार्थी के स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 में अंकित 42 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 42 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं।

15. अतः अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति में 42 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम, अपीलार्थी की आय की क्षति भी 42 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 9,114/- रुपये का 42 प्रतिशत 3,828/- रुपये होती है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 15 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $3,828 \times 12 \times 18 = 8,26,848/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को हस्तगत दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप शारीरिक व मानसिक पीड़ा के मद में 1,00,000/- रुपये, भावी जीवन में सुविधाओं की क्षति के लिए 80,000/- रुपये, 43 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 21,500/- रुपये, इलाज पर खर्च हुई राशि (मेडिकल बिल्स) के मद में 5,38,000/- रुपये, परिचर एवं वाहन खर्च के

लिए 50,000/— रुपये, विशिष्ट आहार एवं पोषाहार के लिए 50,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थी के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। दौराने इलाज अपीलार्थी का दांयी आंख में कारित चोटों के फलस्वरूप उसकी आंख की रोशनी चली जाना तथा लोअर लिम्ब में अस्थिभंग होना जाहिर है। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थी के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थी को 1,00,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. अपीलार्थी की दांयी आंख में कारित चोटों के फलस्वरूप उसकी आंख की रोशनी चली गई है। उक्त कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी को भविष्य में इलाज की आवश्यकता रहेगी। अतः अपीलार्थी को भविष्य में इलाज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अपीलार्थी को 50,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझती है।

19. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब चार माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम चार माह की आय की हानि के मद में $6,510 \times 4 = 26,040$ /— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

20. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	8,26,848/— रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	1,00,000/— रुपये
3.	भावी जीवन में सुविधाओं की क्षति के मद में	80,000/— रुपये
4.	पौष्टिक आहार की मद में	50,000/— रुपये
5.	अस्पताल आवागमन की मद में	50,000/— रुपये
6.	43 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	21,500/— रुपये

7.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	5,38,000 / – रुपये
8.	भविष्य में विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में	1,00,000 / – रुपये
9.	भविष्य में इलाज की आवश्यकता की मद में	50,000 / – रुपये
10.	चार माह की हानि के मद में	26,040 / – रुपये
11.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	18,42,388 / – रुपये
12.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	9,52,900 / – रुपये
13.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	8,89,488 / – रुपये

21. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को 9,52,900 / – रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 18,42,388 / – रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने की अधिकारी पाई जाती हैं।

22. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

23. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

24. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

25. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J